ऑनलाइन अपग्रेडेशन हेतु आवश्यक निर्देश (संशोधित)

स्नातक (बी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच को छोड़ कर) एवं मास्टर्स की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन अपग्रेडेशन Apply करता है तो वे अभ्यर्थी निम्न अपग्रेडेशन प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ लें।

1. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउन्सलिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में केवल एक बार ही मिलेगा।
2. प्रथम आवंटन के बाद ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउन्सलिंग के अगले चरण में बेहतर कोर्स के लिए अपग्रेडेशन लेना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थी को केवल सिक्योरिटी शुल्क रू0 5000.00 जमा करना होगा, उसके उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपग्रेडेशन Apply करना होगा। ऑनलाइन अपग्रेडेशन करने के लिए अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में रू0 500.00 जमा कर फिर से च्वाइस देना अनिवार्य होगा। अपग्रेडेशन Apply के बाद अभ्यर्थी को पूर्व में आंवटित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। यदि अगले चरण की काउन्सलिंग में अभ्यर्थी की च्वाइस के अनुसार सीट अपग्रेड हो जाती है, तो अभ्यर्थी को आंवटित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि में रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, अभ्यर्थी के लागिन पर तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के लॉगिन पर अपग्रेडेशन का विवरण उपलब्ध होगा। यूपीकैटेट परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपग्रेडेशन Apply कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन Apply नहीं करता है और न ही निर्धारित तिथि मे आवंटित विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट करता है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी की आंवटित सीट निरस्त कर दी जायेगी और अभ्यर्थी अगले राउंड की ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। अपग्रेडेड सीट के उपरान्त जब अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आवंटित विश्वविद्यालय में उपस्थित होगा और आंवटित विश्वविद्यालय द्वारा डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के दौरान यदि कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। और पूर्व में आंवटित सीट एवं अपग्रेडेड सीट (दोंनो) पर अभ्यर्थी का दावा मान्य नहीं होगा।
3. यदि अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो वह बेहतर कोर्स के लिए अगले राउंड की काउन्सलिंग में अपग्रेडंशन Apply कर सकता है। प्रथम काउन्सलिंग (पूर्व काउन्सलिंग) में आंवटित सीट पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित विश्वविद्यालय में पहुंच कर रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करनी होगी। यह व्यवस्था केवल ऑनलाइन काउन्सलिंग हेतु लागू होगी।
4. **यदि अभ्यर्थी का ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अपग्रेडेशन नहीं होता है तो स्नातक की तृतीय ऑनलाइन एवं मास्टर्स की द्वितीय ऑनलाईन काउन्सलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश/रिर्पोटिंग हेतु निर्धारित तिथि में पहुंच कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।**
   - **स्नातक की तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग की रिपोटिंग तिथि :– 11 से 14 सितम्बर, 2024**
   - **मास्टर्स की द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग की रिर्पोटिंग तिथिः– 27 से 29 अगस्त, 2024**
5. यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन Apply नहीं करना चाहता है तो अभ्यर्थी को जो सीट आंवटित हुयी है, उस पर प्रवेश के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
6. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस पाठयक्रम में प्रवेशित था उसी पाठयक्रम में प्रवेशित रहेगा।
7. यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेडिट हो जाता है तो अपग्रेड सीट रिक्त होने की दशा में काउन्सलिंग के समय अन्य अभ्यर्थी की रैंक से भरी जायेगी। किसी भी दशा में अपग्रेडिट अभ्यर्थी का पूर्व में आंवटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है वहाँ पहुंच कर रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडिट सीट पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा पूर्व में आंवटित सीट भी निरस्त हो जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडिट सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडिट (दोनों) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

कुलसचिव